न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी संख्या –97 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2024 / 105

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रियांबड़ी, पंचायत समिति, रियांबड़ी, तहसील रियां बडी, जिला नागौर (राजस्थान)		अफजल पुत्र अब्दुल गफार सिलावट जाति मुसलमान निवासी रियांबडी तहसील रियांबडी, जिला नागौर

एवम्

पंचायत निगरानी संख्या –173 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023 / 200

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कमल पालडिया पुत्र बिरदीचन्द आयु 23 वर्ष जाति माली निवासी ग्रामरियां बड़ी तहसील रियां बड़ी जिला नागौर राजस्थान		1. ग्राम पंचायत रियां बड़ी पंचायत समिति रियां बड़ी जिला नागौर जरिये ग्राम विकास अधिकारीए ग्राम पंचायत रियां बड़ी जिला नागौर। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत रियां बड़ी तहसील रियां बड़ी जिला नागौर 3. अफजल पुत्र अब्दुल गफार सिलावट जाति मुसलमान निवासी रियांबडी तहसील रियांबडी, जिला नागौर

उपस्थितिः–

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी अफजल पुत्र अब्दुल गफार सिलावट की ओर से वकील श्री श्याम बारूपाल उप0।

उपरोक्त दोनो प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत भूमि एक समान होने से तथा पिड़ित पक्षकार एक समान होने से इन दोनों प्रार्थना–पत्रों का एक साथ निस्तारण इस निर्णय से किया जाता हैं। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों के संलग्न की जायेगी।

निर्णय — दिनांक **27.11.2024**

1. यह निगरानी अधीन धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के, विरूद्ध पटटा नम्बर 82 मिसल संख्या 221 / 2021–22 में दिनांक 13.07.2022 को ग्राम पंचायत,रियांबडी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, उस पट्टे को निरस्त कराने हेतु दिनांक 16.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। तथा एक निगरानी संख्या 173 / 2023 पेश हुई। निगरानीकर्ता संख्या 173 / 2023 का प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक आज उपस्थित नहीं होने से राजकीय हित प्रभावित होने से इस प्रकरण में उनकी ओर से राजकीय पैरोकार की उपस्थिति ली गई।

कलक्टर नागौर

2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 82 की प्रमाणित प्रति,मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिला परिषद् नागौर को सरपंच,ग्राम पंचायत,रियांबड़ी द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 08.04.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0),रियांबड़ी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकार,जिला परिषद्,नागौर को इन पट्टों की भेजी गई जॉच रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/23/2419 दिनांक 26.07.2023 की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की हैं।

4. मियाद प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 5 लिमिटेशन पर राजपैरोकार को सुना गया।

राजकीय पैरोकार का कथन हैं कि प्रार्थना पत्र–फर्जकारी व मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा पट्टा प्राप्ति बाबत कोई इल्म पूर्व में निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत को नही रहा, क्योंकि सारी कार्यवाही सदभावना में व अपने पदीय कर्तव्यो के श्रद्धापूर्ण निर्वहन में की गई थी, जिसका विधि संरक्षण करती है। हाल ही में ग्राम पंचायत रियांबडी निगरानीकर्ता को एक पत्र क्र.सं.जिपना/पंचायत/2024/9546 दिनांक 22.03.24 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) नागौर द्वारा जारी किया गया, जो निगरानीकर्ता को दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हुआ, जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा प्राथमिक तौर पर पट्टा विलेख को देखकर उक्त कथित गड़बड़ी होने के तथ्य प्रथम बार सामने आने से यह निगरानी जानकारी से अविलम्ब अंदर मियाद पेश की गई हैं, जिसे मियाद शुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन हैं कि प्रश्नगत पट्टा का इल्म सरपंच को जब पट्टा जारी किया उसी समय था तथा भूमि की जानकारी भी उनकी शुरू से ही थी। हमारे को पट्टा भी आबादी भूमि पर ही जारी किया गया हैं,अब सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषता से यह निगरानी पेश की गई हैं,जो खारिज योग्य हैं। विलम्ब का प्रतिदिन का कारण भी प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं हैं,इसलिए भी निगरानी खारिज योग्य हैं।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र व बहस में किये गये कथनों पर विचार किया गया। प्रकरण में कानूनी बिन्दू निहित होने से निगरानीकर्ता का मयाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं निगरानी को अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

5. (1)–राजपैरोकार की मूल निगरानी पर बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से राजपेरोकार ने निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थी द्वारा एक आवेदन बाबत जारी करने पट्टा प्रस्तुत किया गया, जो आवेदन पट्टा के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया एवं उसी पृष्ठ पर पड़ोस अंकन किये गये थे। जिस पर सदभावना से सरसरी जांच कर पट्टा जारी किया गया। मगर बाद में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर एवं श्रीमान तहसीलदार साहब रियांबड़ी द्वारा जांच की गई, जिसमे यह साबित हुआ कि उक्त पट्टा आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत को गुमराह रखकर व ग्राम पंचायत को मुगालते में रखते हुए गलत जानकारी आवेदन में अंकित कर पट्टा जारी करवा लिया गया, जो तथ्य छुपाकर व गलत तथ्य प्रकट कर प्राप्त किया गया होने से प्रारम्भतः शुन्यकरणीय हैं। पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यो के विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

उपरोक्त पट्टा वाली जायगा वास्तविकता में आबादी भूमि में न होकर मौजा रियांबड़ी के खसरा नम्बर 965 में स्थित है तथा उक्त पट्टा ग्राम पंचायत रियांबड़ी को धोखे में रखकर गलत व मिथ्यापूर्ण

कलक्टर नागौर

दस्तावेज व नक्शा पेश करते हुए सक्षम राजस्व अधिकारियो के सीमा ज्ञान के बिना व सीमा ज्ञान के तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया है। इस कारण से भी वर्तमान प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पट्टा तथ्यो को छुपाकर व गलत तथ्य पेश कर दुर्भावना से प्राप्त किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायती राज नियम1996 के कायदो की अवहेलना करते हुए तथ्य छुपाकर वास्तविक वतात्विक तथ्यो का लोप कर प्राप्त किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

ग्राम पंचायत के समक्ष जब पट्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि कहकर पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया गया था, चूंकि आबादी भूमि खसरा नम्बर 965 के पास में ही हैं, इस कारण मौका निरीक्षण के समय जल्दबाजी में सही रूप से मौका नही देखा गया एवं राजस्व भूमि पर गलत रूप से पट्टा जारी कर दिया गया। जिसका न तो अधिकार ग्राम पंचायत को है, अगर यह तथ्य तत्समय आवेदक अप्रार्थी जिसे इन तथ्यो की बखूबी जानकारी थी, द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवा दिया जाता तो वैसी सूरत में ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने का निर्णय कतई नही लेती। जिससे भी हस्तगत पट्टा आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियम 147 के अनुसार प्रस्तावित भूमि के विक्रय / पट्टा के सम्बन्ध में पंचायत को अंतिम विनिश्चित करना होता है तत्पश्चात ही नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जायेगें। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा नियम 147 के अनुसार प्रस्तावित भूमि को विक्रय / पट्टा जारी करने या नहीं करने के सम्बन्ध में कोई अंतिम विनिश्चिय किसी भी बैठक में नहीं किया गया है, जो पश्चातवर्ती प्रक्रम पर बाद प्रक्रिया किया जाना प्रस्तावित रहा था, किन्तु हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण, सारवान व तथ्य उजागर हो जाने से निगरानी जेर पट्टा पेश की जा रही है, जिससे भी आलोच्य आदेश व पट्टा खारिज होने योग्य है।

नियम 157 के मुताबिक संबंधित पट्टा आवेदक का आवेदित स्थल पर मौके पर पुराना निवास होना चाहिए था, जो नहीं होते हुए भी राजस्व बारानी किस्म की कृषि भूमि का पट्टा तथ्य छुपाकर जारी करवा लिया, जो इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त पट्टा प्रशासन गांवो के संग शिविर में राजस्थान सरकार द्वारा दी गई शिथिलताओं और अधिकतम आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से व सदभावना से जारी करने हेतु कार्यवाही की गई, आबादी भूमि के संबंध में पट्टा विलेख ग्राम पंचायत केवल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकारिता के आबादी एरिया की भूमि के लिए ही जारी करने हेतु सक्षम हैं, किन्तु जानबूझकर अधिकारातीत रूप से तथ्य छुपाकर व ग्राम पंचायत को गुमराह कर वर्तमान प्रकरण में विवादित पट्टा प्राप्त किया गया हैं, जो इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत का पट्टा धारक के नाम जारी किया गया पुनरीक्षणाधीन पट्टा अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है। पट्टा कानूनी तथा विहित प्रक्रिया अपनाये बगैर जारी किया गया हैं, इसलिए भी पट्टा खारिज होने योग्य है।

ग्राम पंचायत रियांबडी पंचायती राज अधिनियम 1994 से शासित एक स्थानीय निकाय हैं, किन्तु निगरानी पेश करते समय आम लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता भारत चुनाव आयोग द्वारा

कलक्टर नागौर

देश भर में लागू की गई हैं, जिससे नियमानुसार, विधि अनुसार किसी तरह की ग्राम पंचायत की बैठक तत्काल वर्तमान में आचार संहिता के अस्तित्व में रहते आहूत की जाना सम्भव नही थी, इस कारण यह निगरानी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना ही पेश की गई हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन हैं कि हमारे को पट्टा हमारी आबादी भूमि पर बने आवास का जारी किया गया है। तथा इस आबादी पट्टे का विक्रय भी ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन,पंजीयन कार्यालय में करवाया जा चुका हैं,इसलिए जब तक इस पंजीयन को सिविल न्यायालय से निरस्तीकरण नहीं करवाया जाता हैं तब तक इस निगरानी पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। इसलिए निगरानी प्रार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जावें।

अपने कथनों सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी द्वारा 2015(2) आर.आर.टी. मनोहरलाल बनाम जिला कलक्टर बाड़मेर में पारित निर्णय के दृष्टात पेश कर निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

6. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत,रियांबड़ी ने अप्रार्थी के नाम पट्टा संख्या 82, नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया हैं। तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा पट्टो की जॉच कार्यालय के पत्र कमांक/भू0अ0/23/2419 दिनांक 26.07.2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद्,नागौर को प्रस्तुत की हैं,जिसके संलग्न भू0अभिलेख निरीक्षक,रियांबड़ी एवं पटवारी हल्का,रियांबड़ी द्वारा की गई मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 भिजवायी हैं,जिसकी फोटो प्रति इस पत्रावली के संलग्न हैं। जिसके अनुसार प्रश्नगत पट्टा कृषि भूमि पर जारी करना पाया गया हैं। जब आराजी भूमि राजस्व कृषि भूमि हैं तथा ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत में निहित आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा पेश गये प्रकरण की नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इस प्रकरण के एवं माननीय न्यायालय के प्रकरण के तथ्य भिन्न हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी संख्या 173/2023 वं 97/2024 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत,रियांबड़ी द्वारा अप्रार्थी के हक में जारी पट्टा संख्या 82 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर